झारखण्ड की जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ (1765 ई0 से 2000 ई0 तक) : एक ऐतिहासिक अध्ययन (मुण्डा, उराँव, खड़िया, संथाल एवं हो के विशेष संदर्भ में)

पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रारूप रूपरेखा

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग

समाज विज्ञान संकाय

राँची विश्वविद्यालय, राँची

शोध निदेशक | **शोधार्थी**

(डॉ0 कंजीव लोचन)

सहायक प्रोफेसर

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग

राँची विश्वविद्यालय, राँची

(प्रियंका साहनी)

मो0 न0 – 9958378530

झारखण्ड की प्रमुख जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ (1765 ई0 से 2000 ई0 तक) : एक ऐतिहासिक अध्ययन
(मुण्डा, उराँव, खड़िया, संथाल एवं हो के विशेष संदर्भ में)

1. भूमिका (Introduction)

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ई. के तहत 15 नवम्बर, 2000 ई. को नवगठित भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित किया गया। झारखण्ड देश के जनजातीय बाहुल्य राज्यों में से एक है। यहाँ कुल 32 जनजातियाँ जिसमें 8 आदिम जनजातियाँ है। इन जनजातियों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से संथाल, मुण्डा, उराँव, हो तथा खड़िया जनजाति अग्रणी है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इन्हीं पाँच जनजातियों की प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ वर्तमान में भी जीवंत है। अन्य जनजातियों की प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएँ या तो इन पाँच बड़ी आबादी वाले जनजातियों में विलीन–सा हो गई है या हिन्दुत्व के प्रभाव के कारण बदलाव सा हो गया है।

इस शोध प्रारूप में इन पाँच जनजातियों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास है।

1.1 विषयवस्तु की अद्यतन स्थिति (State of Art)

भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा जिन विभिन्न सामाजिक तत्वों पर आधारित है, अनेक आयामों से एक झारखण्ड का जनजातीय समुदाय है। झारखण्ड के जनजातीय समुदायों की अपनी सभ्यता और संस्कृति भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रत्येक आयाम स्वयं में एक विशाल ज्ञान भण्डार को समेटे हुए है जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। झारखण्ड में निवासित 32 जनजातियों की अपनी सभ्यता–संस्कृति इतनी व्यापक है कि उनके ज्ञान से एक समृद्ध विरासत का पता चलता है। इस समृद्ध विरासत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है – जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्थाएँ।

झारखण्ड के जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख अवधारणा 'हमारे गाँव में हमारा राज' है। उनका यह विश्वास है कि पारंपरिक प्रशासन व्यवस्था उनके हितों, जीवन, सम्मान, उनके अधिकारों व स्वशासित होने के उनके नैसर्गिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक कारगर औजार है। पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था उस समय स्पष्ट रूप से सतह पर उभरी और संवैधानिक रूप से जनजातियों के अधिकार उस समय उनके अभिन्न अंग बने जब वर्ष 1996 में भारत सरकार ने 'पेसा' कानून लागू किया। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य एक ओर जहाँ पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों तक करना था, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना भी था। झारखण्ड के जनजातीय समुदायों का इतिहास 'आत्म निर्णय' व 'स्व–

शासन' के संघर्ष गाथाओं से भरा पड़ा है। जनजातीय समुदाय मानते है कि प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार और सम्मान स्व–शासन के द्वारा ही स्थापित हो सकता है।

झारखण्ड के जनजातीय समुदायों विशेषकर मुण्डा, संथाल, हो, उराँव एवं खड़िया जो इस शोध के प्रमुख जनजातियों का विषय है, का पारंपरिक प्रशासन अनेक अधिकारियों द्वारा संचालित होता था। संथालों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी मांझी, परानीक, गोड़ेत, जोग मांझी आदि, हो में मुंडा, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार आदि, मुण्डा में मुण्डा, पाहन, पुजारी पाहन, महतो, पड़हा आदि, उराँव में महतो, कोतवार, पाहन, पुजार आदि, खड़िया में महतो, पाहन, करटाहा आदि थे। ये अधिकारी गाँवों के जनों द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा साथ ही ये अपने कार्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किया करते थे। इन विभिन्न अधिकारियों द्वारा झारखण्ड के पारंपरिक प्रशासन का संचालन व्यवस्थित रूप में किया जाता था।

झारखण्ड के जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अनेक विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा अपने ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। बी. वीरोत्तम की कृति **'झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति'** में जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तृत वर्णन मिलता है। हरिश्चन्द्र उप्रेती ने भी अपनी पुस्तक **'भारतीय जनजातियाँ : संरचना एवं विकास'** में मुण्डा, संथाल, उराँव और खड़िया समुदायों के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है। उमेश प्रसाद वर्मा ने अपनी कृति **'संथाल'** में संथालों के प्रशासन पर प्रकाश डाला है। डब्ल्यू. जी. आर्चर ने अपने ग्रंथ **'ट्राइबल लॉ ऐंड जस्टिस'** में भी जनजातियों के प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तृत वर्णन किया है। एल. एस. एस. औमाली की जिला गजेटियर **'संथाल परगना गजेटियर'** में संथालों के प्रशासन पर उल्लेख किया गया है। एन. प्रसाद की पुस्तक **'लैंड ऐंड पीपुल ऑफ बिहार'**, एल. पी. विद्यार्थी और बी. के. राय कृत **'ट्राइबल कल्चर ऑफ इण्डिया'**, डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर कृत **'ए स्टेटिस्टिकल एकाउन्ट ऑफ बंगाल'**, एस. सी. रायकृत **'द मुंडाज एंड देयर कंट्री'**, आर. रसेल की पुस्तक **'द ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉविंसेज ऑफ इंडिया'** आदि ग्रंथों में झारखण्ड के जनजातीय पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही सरत चन्द रॉय ने अपने अन्य ग्रंथों **उरांव रीलिजन एण्ड कस्टम्स** एवं **द उरांव ऑफ छोटानागपुर** में उराँवों की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख संक्षिप्त में किया है। तारा शर्मा ने **खरिया जनजीवन**, बिमला चरण शर्मा ने **झारखण्ड की जनजातियाँ** एवं चतुर्भुज साहू ने **झारखण्ड की जनजातियाँ** में जनजातियों के प्रशासन पर बहुत कम चर्चा किए हैं।

1.2 साहित्यिक–रिक्ति (Literature Gap)

उपर्युक्त विद्वानों और इतिहासकारों के लेखन से झारखण्ड के प्रमुख जनजातियों की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत कम उल्लेख मिलता है। विशेषकर खड़िया के बारे में किसी भी पुस्तक में विस्तार से चर्चा नहीं है जबकि यह जनजाति झारखण्ड के सबसे साक्षर जनजाति है। संथाल एवं हो को छोड़कर किसी अन्य जनजाति के पास अपनी लिपि नहीं है जिस कारण मूल साहित्यों की

रचना कम मिलती है। उराँव तथा खड़िया की आबादी बड़ी है, लेकिन इनकी अपनी लिपि नहीं है। आज भी ये देवनागरी लिपि पर निर्भर है। अतः इस शोध का उद्देश्य उन छुटे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर प्रकाश में लाना है।

1.3 विषयवस्तु का आकलन (Statement of the Problem)

किसी भी सामाजिक व्यवस्था में नियमितता तथा नियंत्रण बनाये रखने के लिए एक सुव्यवथित प्रशासनिक तंत्र का होना आवश्यक है। ये प्रशासनिक तंत्र समाज से विभिन्न सदस्यों तथा संगठनों के मध्य संबंधों का संचालन करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दबाव का प्रयोग भी करते हैं।

झारखण्ड में भी प्रशासनिक तंत्र जनजातीय सदस्यों में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इन्होंने सामान्य जीवन के नियमन के लिए जो कायदे–कानून बनाए, वे ही कालांतर में जनजातीय पंचायतों के आधार बने। ये पंचायत दीर्घकाल तक बनती–बिगड़ती हुई उस स्थिति को प्राप्त हुईं जिसमें उन्हें आज हम पाते है। ईसा की पहली शताब्दी या उससे भी पहले से हिन्दू–बौद्ध–जैन धर्म प्रचारक, मनीषी, तपस्वी, पुरोहित तथा योद्धा वर्गों के लोग यहाँ आने लगे थे। उनकी गतिविधि तथा विचारों ने यहाँ के जीवन शैली तथा शासनतंत्र को प्रभावित किया। इसी क्रम में यहाँ के विभिन्न जनजातीय अथवा गैर जनजातीय शासक वंशों की स्थापना हुई जिन्होंने स्थानीय परंपराओं तथा बाह्य प्रभावों के आधार पर अपने शासनतंत्रों का निर्माण, संवर्द्धन तथा परिवर्द्धन किया।

झारखण्ड के जनजातीय बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्रशासन की नींव पंचायतों पर आधारित थी। जैसे–जैसे कीलियों के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे–वैसे नए गाँवों की स्थापना होती गई। सामाजिक एवं प्रशासनिक मामलों में से सभी पुराने तथा नये गाँव एक इकाई के रूप में काम करते रहें। मुण्डा क्षेत्रों में आपस में सम्बद्ध ये गाँव एक साथ पड़हा कहे गए। धीरे–धीरे पड़हा सामाजिक और प्रशासनिक संगठन की इकाई बन गया। अपनी सीमित दृष्टि के कारण आदिवासी पड़हा से ऊपर उठकर राज्य का संगठन नहीं कर सके। विभिन्न पड़हाओं को एक साथ मिलाकर राज्य का रूप देने का कार्य राजाओं ने किया। उन्होंने पड़हा संगठन और अन्य जनजातीय संस्थाओं को नष्ट किए बिना अपने विशाल राज्य की स्थापना की। यही कारण है कि सामाजिक क्षेत्र में पड़हा संगठन आज भी उतना ही मजबूत है यद्यपी प्रशासकीय क्षेत्र में इसके बहुत सारे कार्य सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया।

झारखण्ड की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं लेकिन इस पर पूर्ण जानकारी अभी भी अनुपलब्ध है। कुछ जनजातियों (मुण्डा, संथाल, उराँव) को छोड़कर झारखण्ड के अन्य जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास अंधकार में है। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने उनके प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संक्षिप्त चर्चा किया है परन्तु उनके प्रशासन पर विस्तृत जानकारी अब

तक प्रकाश में नहीं आया है। इस शोध का उद्देश्य झारखण्ड के जनजातीय समुदायों (मुण्डा, हो, उराँव, संथाल एवं खड़िया) के प्रशासन की पूर्ण जानकारी तथा उन अनछुए हुए तथ्यों को प्रकाश में लाना है जो अब तक काल के गर्त में समाए हुए हैं।

1.4 उद्देश्य (Objective)

1. झारखण्ड के जनजातीय पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना।
2. मुण्डा जनजातीय प्रशासनिक तंत्रों पर तथ्यों को संकलित करना।
3. संथालों में प्रचलित शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को इकट्ठा करना।
4. उराँवों की पारंपरिक प्रशासकीय तंत्रों की रूपरेखा तैयार करना।
5. हो जनजातीय समुदाय की समृद्ध प्रशासन व्यवस्था को प्रकाश में लाना।
6. खड़िया के अनुपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना।
7. विभिन्न जनजातीय समुदायों में प्रशासन के महत्व और उसकी उपयोगिता को उजागर करना।
8. प्रशासन संबंधी विभिन्न आयामों संबंधी तथ्यों को संकलित करना।

1.5 शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypothesis)

1. प्रशासनिक व्यवस्था झारखण्ड के जनजातीय समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है।
2. झारखण्ड की जनजातियों में सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से पाँच प्रमुख है यथा – मुण्डा, उराँव, खड़िया, संथाल एवं हो।
3. झारखण्ड की इन प्रमुख जनजातीय समुदायों के प्रशासन की प्रारंभिक इकाई पंचायत है।
4. मुण्डा, उराँव, हो पंचायत से संथाल पंचायत बहुत भिन्न है।
5. दूध खड़िया में मुण्डा–उराँवों की तरह पड़हा पंचायत है।
6. जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था का केन्द्र गाँव होता है।
7. ब्रिटिशों के आगमन के पूर्व जनजातीय प्रशासन स्थानीय राजाओं द्वारा संचालित किया जाता था।
8. औपनिवेशिक काल में झारखण्ड की जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा।
9. स्वतंत्रता के बाद जनजातीय प्रशासन का अनुपालन सीमित हो गया और इसका स्थान भारतीय संविधान ने ले लिया।

2. शोध प्रारूप एवं विधि (Research Design and Research Methodology)

शोध प्रबंध प्रारूप को पूर्ण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों, तकनिकियों एवं तथ्यों का तार्किक विश्लेषण किया जाएगा जो निम्नवत् है–

2.1 तथ्यात्मक स्रोत (Data Sources)

प्रस्तावित शोध प्रबंध को पूर्ण करने के लिए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा। स्रोतों में सबसे पहले प्राथमिक स्रोत का उपयोग कर तथ्यों को संकलित करने का काम करेंगे। इसके अंतर्गत समसामयिक दस्तावेज, समसामयिक सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज तथा मौखिक स्रोतों के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित कर आंतरिक और बाह्य परिक्षण द्वारा स्रोतों को स्थापित करेंगे और विषयवस्तु का आकलन करेंगे। ये सभी स्रोत झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं, विशेषकर मौखिक स्रोत। इन सभी को एकत्रित कर ऐतिहासिक शोध विधि के द्वारा उपयोग किया जाना है।

द्वितीयक स्रोतों के रूप में इतिहासकारों द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर शोध कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इन ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न पुस्तकालयों, संग्रहालयों, अभिलेखागारों इत्यादि शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण किया जाएगा। इसके लिए झारखण्ड राज्य पुस्तकालय, खेलगाँव, डॉ0 राम दयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान, मोरहाबादी, केन्द्रिय पुस्तकालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची, केन्द्रिय पुस्तकालय, नई दिल्ली, केन्द्रिय पुस्तकालय, कोलकाता, झारखण्ड राज्य अभिलेखागार, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची का पुस्तकालय, केन्द्रिय अभिलेखागार, कोलकाता इत्यादि स्थानों से पुस्तकों को एकत्रित कर जानकारी एकत्रित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त विभिन्न वेब स्रोतों का उपयोग कर इस शोध कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए JSTOR, INFLIBNET, MOOC, SODHGANGA, SODHDHARA, NATIONAL DIGITAL LIBRARY, INTERNET ARCHIVE जैसे वेबसाईटों का उपयोग कर शोध संबंधी सामग्री इकट्ठा किया जाएगा।

इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए झारखण्ड के विभिन्न जनजातीय विद्वानों और लोगों का साक्षात्कार लिया जाएगा। मुण्डा, संथाली, हो, खड़िया तथा उराँव जनजातीय समुदायों पर कार्य करने वाले और उससे संबंधित लोगों से साक्षात्कार कर तथ्यों का संकलन किया जाएगा।

कई औपनिवेशिककालीन दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा जिसमें प्रमुख देस्तावेज हैं – विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसरायों के रिपोर्ट, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए समकालीन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, उनके पत्र–पत्रिकाएँ आदि। इन सामग्रियों का भी प्रयोग कर झारखण्ड के पारंपरिक जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर तथ्यों को एकत्रित कर शोध कार्य पूर्ण किया जाएगा।

2.2 आँकड़ों के संकलन में उपयोग हेतु उपकरण एवं तकनीक (Tools and Techniques for Data collection)

1. प्राथमिक स्रोतों जैसे समसामयिक दस्तावेज, समसामयिक सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज के आधार पर तथ्यों को संकलित किया जाएगा।
2. मौखिक स्रोतों जैसे साक्षात्कार, जनजातीय प्रशासन से संबंधी विद्वानों, गणमान्य व्यक्तियों और जनजातीय लोगों के आधार पर शोध सामग्री एकत्र किया जाएगा।
3. पूर्व लेखकों द्वारा किए गए कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।
4. प्रश्नावली विधि द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं शोध सामग्री का संकलन किया जाएगा।
5. विभिन्न अभिलेखागार, संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों से उपलब्ध सामग्री को एकत्रित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा।
6. संगोष्ठी या सेमिनार के द्वारा विषयवस्तु की प्रमाणिकता के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाएगा।
7. प्राप्त तथ्यों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं तकनीकी द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जाएगा।

2.3 तथ्यों का विश्लेषण (Analysis of Data)

शोध प्रबंध प्रारूप के लिए तथ्यों का विश्लेषण बाह्य एवं आंतरिक आलोचना, विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों, तकनिकियों एवं तथ्यों का तार्किक विश्लेषण किया जाएगा।

3. शोधकार्य का महत्व (Relevance of the study)

प्रस्तुत शोध में उन पहलुओं का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जो झारखण्ड के जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस शोध कार्य द्वारा झारखण्ड में जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था की भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। जितने भी तथ्य जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था और एक महत्वपूर्ण प्रजातंत्र के निर्माण में शामिल है, उनके बीच सह–संबंध स्थापित किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा जनजातीय समुदाय एक–दूसरे से आबद्ध है, इनकी पुष्टि की जाएगी। इस शोध के द्वारा एक विशिष्ट प्रशासन व्यवस्था से लोग अवगत हो पाएंगे।

4. समाज की आवश्यकता एवं वर्तमान समस्या से इसकी प्रासंगिकता (Need and Utility of Topic in Current Scenario)

यह शोधकार्य झारखण्ड के इतिहासलेखन में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास है। इस शोध से प्राचीन काल से चली आ रही झारखण्ड के जनजातीय पारंपरिक प्रशासन व्यवस्था की पुनर्व्याख्या और पुनर्निमाण किया जा सकेगा। इससे हम जनजातियों की उस व्यवस्था से रू–ब–रू हो सकेंगे जो आज यह अपने वास्तविक रूप से ओझल हो चुका है। देश में संविधान बनने से कई वर्षों पूर्व झारखण्ड

का जनजातीय समाज एक व्यवस्थित प्रशासन तंत्र को संचालित कर रहा था। इस शोध के द्वारा झारखण्ड के जनजातीय इतिहास में एक नए आयाम को प्रकाश में लाया जा सकेगा।

5. समसामयिक ज्ञान के प्रति इसकी देन (Contribution in Current knowledge)

प्रस्तुत शोध कार्य झारखण्ड के जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई तथ्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। झारखण्ड का जनजातीय समुदाय की सभ्यता और संस्कृति अपने आप में ही समृद्ध रहा है। अपने समाज को संचालित करने के लिए इनका एक मजबूत शासन तंत्र रहा है। ये अपने गाँवों में पारंपरिक तरीके से अपनी समस्याओं का निस्पादन प्रारंभ से ही करते आए हैं। लेकिन अब इनका प्रशासनिक व्यवस्था के तरीके खोते जा रहा है। इस शोध के द्वारा उनके समृद्ध प्रशासनिक व्यवस्था को प्रकाश में लाना है जिससे आने वाली पीढ़ी झारखण्ड के जनजातियों की समृद्ध संस्कृति से अवगत हो सके और गौरवान्वित महसूस कर सके। इस शोध के बाद जनजातियों में अपने संस्कृति के प्रति विशेष जागरूकता का विकास हो सकेगा। इस शोध के द्वारा उत्तराधुनिक समाज में प्राचीन एवं वर्तमान समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा।

6. भविष्य कार्य (Future work)

प्रस्तुत शोध कार्य के द्वारा झारखण्ड के जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की योजना है। विभिन्न जनजातीय समुदायों जैसे मुण्डा, उराँव, संथाल, हो, खड़िया आदि के प्रशासनिक व्यवस्थाओं, उनसे संबंधित अधिकारी, उनके नियम–कानून आदि पर प्रकाश डाला जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो।

7. प्रस्तावित अध्यायीकरण (Proposed Chapter Scheme)

भूमिका

प्रथम अध्याय – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय – मुण्डा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था

तृतीय अध्याय – उराँव जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था

चतुर्थ अध्याय – खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था

पंचम अध्याय – संथाल जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था

षष्ठम् अध्याय – हो जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था

उपसंहार

संदर्भ ग्रंथ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बी. वीरोत्तम, *झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति*, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2004
2. हरिश्चन्द्र उप्रेती, *भारतीय जनजातियाँ : संरचना एवं विकास*, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2022
3. उमेश प्रसाद वर्मा, *संथाल*, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची, 1993
4. डब्ल्यू. जी. आर्चर, *ट्राइबल लॉ ऐंड जस्टिस*, नई दिल्ली, 1985
5. एन. प्रसाद, *लैण्ड ऐंड पीपुल ऑफ बिहार*, राँची, 1961
6. एल. पी. विद्यार्थी और बी. के. राय, *ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया*, कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1976
7. डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर, *ए स्टेटिस्टिकल एकाउंट ऑफ बंगाल*, जिल्द 17, 1877
8. आर. रसेल, *द ट्राइब्स ऐंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉविंसेज ऑफ इंडिया*, जिल्द 3, लंदन, 1916
9. प्रकाश चन्द्र उरांव, *उरांव*, कल्याण विभाग, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची
10. प्रकाश चन्द्र उरांव, *लैण्ड एण्ड पीपल ऑफ झारखण्ड*, झारखण्ड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इन्स्टिट्युट, राँची, 2003
11. प्रकाश चन्द्र उरांव, *बिहार के उरांव*, आनन्द ज्ञान प्रकाशन, राँची, 1988
12. अनिल कुमार, *झारखण्ड*, राष्ट्रिय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2016
13. डी0 बारका किस्कू, *द संताल्स एण्ड देयर एनसेस्टर्स*, करियर प्रेस, दुमका, झारखण्ड, 2000
14. जेवाकिम डुंगडुंग, *खड़िया, मुण्डा और उराँव संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन*, झारखंड झरोखा, राँची, 2014
15. बोनीफास तिर्की, *प्रसन्नमुख उराँव*, वनज्योति निकेतन, पटना, 1989
16. दिवाकर मिंज, *मुण्डा एवं उरांव का धार्मिक इतिहास*, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
17. कामना राय, *छोटानागपुर की जनजातीय संस्कृति व समाज*, इंस्टिट्युट फॉर सोसल डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, राँची, 2016
18. सरत चन्द रॉय, *उरांव रीलिजन एण्ड कस्टम्स*, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली,1999
19. सरत चन्द रॉय, *द उरांव ऑफ छोटानागपुर*, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2004
20. एस0 सी0 रॉय, *द मुण्डाज एंड देयर कन्ट्री*, क्राउन पब्लिकेशन, राँची, 2010
21. उमेश कुमार वर्मा, *जनजातीय समाजशास्त्र*, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

22. तारा शर्मा, *खरिया जनजीवन,* के0 के0 पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2007

23. बिमला चरण शर्मा, *झारखण्ड की जनजातियां,* झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014

24. चतुर्भुज साहू, *झारखण्ड की जनजातियां,* के0 के0 पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2012

25. आर0 सिंह, *ट्राइबल बिलिफ्स प्रैक्टिसेज एण्ड इन्सुरेक्सन्स,* अनमोल पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2000

26. अजीत कुमार सिंह और अवधेश प्रसाद सिन्हा, *भारत के आदिवासी,* विशाल पब्लिशिंग हाऊस, राँची, 1987

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर

1. एन0 प्रसाद, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, राँची, 1970
2. पी0 सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, सिंहभूम, 1958
3. पी0 सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पलामू, 1961
4. पी0 सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, हजारीबाग, 1957
5. पी0 सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, धनबाद, 1964
6. पी0 सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, संथाल परगना, 1965
7. एल0 एस0 एस0 ओ0 मैली, पलामू, 1907
8. एल0 एस0 एस0 ओ0 मैली, संताल परगना, 1910
9. एल0 एस0 एस0 ओ0 मैली, सिंहभूम, सरायकेला, खरसावाँ, 1910
10. एम0 जी0 हैलेट, राँची, 1917
11. एच0 कूपलैण्ड, मानभूम (धनबाद क्षेत्र), 1911
12. ए0 लिस्टर, हजारीबाग, 1917

शोध निदेशक

(डॉ0 कंजीव लोचन)

सहायक प्राफेसर
विश्वविद्यालय इतिहास विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची

शोधार्थी

(प्रियंका साहनी)

मो0 न0 – 9958378530